रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112024-258646
CG-DL-E-14112024-258646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4538] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2024/कार्तिक 23, 1946
No. 4538] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2024/KARTIKA 23, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2024

का.आ. 4920(अ).—जबकि, हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (जिसे इसके बाद एचएनएलसी कहा गया है) अपने गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ मेघालय राज्य के क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए हानिकारक है :-

और जबकि, केंद्र सरकार की राय है कि एचएनएलसी ने,-

(i) मेघालय राज्य के उन क्षेत्रों को, जिनमें अधिकांशतः खासी और जयंतिया जनजाती रहते हैं, भारत से अलग करने की घोषणा की हुई है;

(ii) अपने संगम हेतु जबरन धन वसूली के लिए नागरिक आबादी को निरंतर धमकाने की कारवाई की है;

(iii) जबरन वसूली और डराने-धमकाने के कृत्यों को अंजाम देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही समूहों के साथ संबंध बनाए रखे हैं;

(iv) 16 नवंबर, 2019 से 30 जून, 2024 की अवधि के दौरान मेघालय राज्य में विस्फोट की या विस्फोटक रोपण की कई घटनाओं सहित, हिंसा की अडतालीस घटनाएं की है;

और जबकि, 16 नवंबर, 2019 से 30 जून, 2024 की अवधि के दौरान यह भी पाया गया है कि - :

(i) उक्त अवधि के दौरान इसके तिहत्तर कैडरों की गिरफ्तारी हुई है;

(ii) उक्त अवधि के दौरान इसके तीन कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है;

और जबकि, मेघालय सरकार ने भी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एचएनएलसी को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने की सिफारिश की है;

और जबकि, केंद्र सरकार की यह भी राय है कि एचएनएलसी की उपरोक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं, और यदि इन्हें तुरंत रोका और नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो एचएनएलसी खुद को फिर से संगठित करेगा, फिर से हथियारबंद करेगा, अपने कैडरों का विस्तार करेगा, परिष्कृत हथियार खरीदेगा, नागरिकों और सुरक्षा बलों के जीवन और सम्पत्तियों का नुकसान कर सकता है और इस तरह यह अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को तेज कर सकता है;

और जबकि, केंद्र सरकार की यह भी राय है कि उपरोक्त कारणों से, एचएनएलसी को उसके गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ एक विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करना आवश्यक है;

अब, इसलिए, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी), उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करती है।

केंद्र सरकार का मत है कि हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) की उपरोक्त गैरकानूनी गतिविधियों, और इसके द्वारा विगत में की गई गतिविधियों, को ध्यान में रखते हुए ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिसके कारण हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) को, उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ, तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगम घोषित करना आवश्यक हो जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी आदेश के अध्यधीन, 16 नवम्बर 2024 से तत्काल प्रभाव से पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं.11011/02/2024-एनई. V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the, 13th November, 2024

S.O. 4920(E).—WHEREAS, the Hynniewtrep National Liberation Council (hereinafter referred to as the HNLC) along with all its factions, wings and front organisations of Meghalaya has been involved in such activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that the HNLC has, -

(i) declared objective for secession of areas in the State of Meghalaya, largely inhabited by Khasi and Jaintia tribes from India;

(ii) continued intimidation and bullying of the civilian population for extortion of funds for their organisation;

(iii) maintained links with other insurgent groups of the North Eastern region for carrying out acts of extortion and intimidation;

(iv) indulged in forty-eight criminal cases, including several cases of explosions or planting of explosives in the State of Meghalaya, during the period from 16th November, 2019 to 30th June, 2024;

AND WHEREAS, the following has also been noted during the period from 16th November, 2019 to 30th June, 2024, -

(i) arrest of seventy-three of its cadres during the said period;

(ii) surrender of three of its cadres during the said period;

AND WHEREAS, the Government of Meghalaya has also recommended for declaration of the HNLC as an unlawful association under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967);

AND WHEREAS, the Central Government is also of the opinion that the aforesaid activities of the HNLC are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, the HNLC may regroup and rearm itself, expand its cadres, procure sophisticated weapons, cause loss of lives of civilians and security forces and properties and thereby accelerate its anti-national activities;

AND WHEREAS, the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, it is necessary to declare the HNLC together with its factions, wings and front organisations, as an unlawful association;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC), along with all its factions, wings and front organisations as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the unlawful activities mentioned above, and the unlawful activities committed in the past by the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC), is of the opinion that circumstances exist which render it necessary to declare the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC), along with all its factions, wings and front organisations as an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have immediate effect from the 16th November, 2024 for a period of five years.

[F. No. 11011/02/2024-NE.V]

Piyush Goyal, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.11.14 14:29:30 +05'30'